कार्यालय निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृ0संख्याः 184 /इपीडी/एल0एस0डी0/ 2022 दिनॉक 21-11-2022

उत्तर प्रदेश शासन, पशुधन अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–2336/सैंतीस–2–2022 दिनॉक 21 नवम्बर, 2022 की प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त अपर निदेशक ग्रेड–2, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।

21/11/22

(डा0 प्रमोद कुमार सिंह)
निदेशक
रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र

प्रेषक, संख्या–2336 / सैंतीस–2–2022

डॉ0 रजनीश दुबे,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

1– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश
2– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश
3– निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ
4– निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, उ0प्र0,लखनऊ

पशुधन अनुभाग–2 लखनऊ :: दिनांक 21 नवम्बर, 2022

विषय–प्रदेश के समस्त जनपदों में समय–समय पर आयोजित होने वाले पशुमेलों / पशुहाट / पशुपैठ आदि के आयोजन के सम्बन्ध में

महोदय,

अवगत कराना हैं कि वर्तमान में प्रदेश में LSD बीमारी पूर्णतया नियंत्रण में है। इस रोग से प्रभावित 111457 में से 107142 गोवंश रोग मुक्त हो चुके हैं। अब तक प्रदेश में उपलब्ध 190 लाख गोवंश के सापेक्ष लगभग 158 लाख (83 प्रतिशत) गोवंश को LSD की रोकथाम हेतु टीकाकरण किया जा चुका है।

2. प्रदेश में LSD की रोकथाम हेतु किये गये व्यापक प्रयासों के परिणामस्वरूप इस रोग से संक्रमित होने वाले गोवंश की संख्या में निरन्तर आ रही कमी के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा प्रदेश के समस्त जनपदों में समय–समय पर आयोजित होने वाले पशुमेलों / पशुहाट / पशुपैठ पर लागू प्रतिबंध को समाप्त करते हुए पूर्व की भांति आयोजित किये जाने एवं गो सेवकों से गो–आश्रय स्थलों पर कार्य कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

3. अतः शासनादेश संख्या–1593 / सैंतीस–2–2022, दिनांक 23.08.2022 के प्रस्तर–3.1, 3.2, 3.3 एवं 3.10 में लगाये गये प्रतिबन्धों को समाप्त किया जाता है। इस सीमा तक शासनादेश संख्या–1593 / सैंतीस–2–2022, दिनांक 23.08.2022 को संशोधित समझा जाय।

4. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

PALDAH 21.11.22
सं0नि0 (प्र0वि0)

Signed by डा0 रजनीश दुबे
Date: 17-11-2022 14:23:00
Reason: Approved
(डॉ0 रजनीश दुबे)
अपर मुख्य सचिव।

21/11/22

संख्या–2336(1) / सैंतीस–2–2022तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– निजी सचिव, मा0 मंत्री, पशुधन विभाग, उ0प्र0 शासन।
2– अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 शासन।
3– प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
4– विशेष कार्याधिकारी, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
5– अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।
6– अपर मुख्य सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
7– प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन।
8– प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
9– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।